कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 4726 / 14–1 बिजनौर, दिनांक, जून 22, 2015।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय :– मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून मार्ग (एस0एच0–49) के किमी0 40 (चैनेज 39.420 में) ग्राम सहसपुर बी0ए0 तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या 95 मि0 में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) प्रभावित वन भूमि 0.0944 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबध में।

संदर्भ :– **Online submission file no. FP/UP/OTHER/9113/2015 date** 21-5-2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाइन सबमिशन जनपद बिजनौर में मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून मार्ग (एस0एच0–49) के किमी0 40 (चैनेज 39.420 में) ग्राम सहसपुर बी0ए0 तहसील धामपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या 95 मि0 में प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) प्रभावित वन भूमि 0.0944 हे0 बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति माँगी गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथा संशोधित 1988 की धारा–2 के अन्तर्गत 0.0944 हे0 संरक्षित वन भूमि के भूमि हस्तातरण प्रस्ताव की हार्ड कापी तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। इस परियोजना से इस वन प्रभाग के अन्तर्गत किसी प्रकार का वन्य जीव प्रभावित नही होगा। कृपया उपरोक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण की हार्ड कापी मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को भेजने की कृपा करें।

<u>संलग्नक–हार्ड कापी की तीन प्रतियॉ।</u>

भवदीय

(विजय सिह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, धामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड नजीबाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय सिह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर।